झारखण्ड सरकार,

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

आदेश

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–1515, दिनांक 28.12.2014 के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची के लिए जन शिकायत निवारण कोषांग का पुनर्गठन विभागीय पत्रांक 2591, दिनांक 13.05.2015 द्वारा किया गया था, जिसमें श्री बसंत कुमार दास, अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग विभाग, राँची को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था।

2. जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए श्री थॉमस डुंगडुंग, उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग विभाग, राँची को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. उक्त कोषांग मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1515, दिनांक 28.12.2014 की कंडिका 5 में अंकित निहित निदेश के आलोक में कार्य करेगी।

4. CPGRAMS, (जन संवाद) के माध्यम से प्राप्त परिवाद पत्र का निष्पादन इसी कोषांग से किया जायेगा।

5. यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

6. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(आलोक त्रिवेदी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– मु० स्था० 01/खा०आ० 8/2013 /राँची दिनांक –

प्रतिलिपिः–मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– मु० स्था० 01/खा०आ० 8/2013 175 /राँची दिनांक 15.01.16

प्रतिलिपि– खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\Vikash Kumar-2015-16\Rajeev sir\Office order.doc69